संदर्भ सं: एमपीडा/एमपीडी/पंजीकरण/2013

दिनांक: 02 नवम्बर, 2016

परिशिष्ट

एपीडा द्वारा दस्तावेज़ सं. एपीडा/एमपीडी/पंजीकरण/2013 दिनांकित 6 दिसंबर 2013 के अंतर्गत एकीकृत बूचड़खाने और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रियाओं को अधिसूचित किया गया है। एपीडा द्वारा संयंत्रों को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित किया गया है कि बूचड़खाने/ संयंत्र लागू सभी सांविधिक आवश्यकताओं/विनियमों के अनुसार होना चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए , संयंत्र पंजीकरण प्रक्रियाओं के पैरा 3.11 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है:

3.12 बूचड़खाने/संयंत्र का संचालन लागू सभी सांविधिक आवश्यकताओं/विनियमों को पूरा करेगा जिसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे:-

- निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम , 1963 के अंतर्गत एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मीट (चिल्ड/फ्रोज़न) (क्वालिटी कंट्रोल एंड इंसपेक्शन) रूल्स, 1992
- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम , 1960 के अंतर्गत स्लॉटर हाउस रूल्स , 2001
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एफबीओ लाइसेंस
- प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और 1981 के अंतर्गत संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- राज्य प्रशासन जैसे पुलिस, नगर आयुक्त, संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , जल बोर्ड, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आदि से मंजूरी।

(अध्यक्ष)